राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2042/2014

शिव कुमार ओझा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी, जिला परिषद, हनुमानगढ।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मृतक कर्मचारी के आश्रितों को सेवा में लाने के प्रावधानानुसार अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 03.01.1985 को अस्थायी रूप से हुई थी। नियुक्ति आदेश दिनांक 03.01.1985 में यह अंकित था कि प्रथम नियुक्ति के 3 साल के भीतर–भीतर प्रशिक्षण (बीएसटीसी) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अपीलार्थी ने आगे यह कथन किया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.09.1994 को स्थायी किया गया। इस प्रकार उक्त आदेश दिनांक 07.09.1994 से अपीलार्थी को दिनांक 08.01.1985 से स्थायी माना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवा की गणना करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान क्रमशः 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय था। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 03.01.1994 से दिया जाना चाहिए था, जो 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिया गया था, परंतु अपीलार्थी को चयनित वेतनमान एसीटीसी उत्तीर्ण करने के 10 वर्ष पश्चात दिया गया, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नियमित किया गया था। अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति से नहीं दिया गया, बल्कि एसटीसी पास करने की दिनांक से गणना करके दिया जा रहा है, जो उचित नहीं है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नियमित नियुक्ति नहीं थी। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एसटीसी पास करने की दिनांक से ही मानी जा सकती

है। इस प्रकार नियुक्ति के उपरांत ही अपीलार्थी को चयनित वेतनमान दिया जाना उचित है।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। यह विवादित तथ्य है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मृतक कर्मचारी के आश्रितों को सेवा में लाने के प्रावधानानुसार दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण गोविन्द सिंह बनाम राजस्थान राज्य WLC (Raj)UC677 में यह माना है कि जहां कर्मचारी अनुग्रहित नियुक्ति धारण किया हुआ हो तो ऐसा किये जाने के संबंध में टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से नहीं, वरन् प्रथम नियुक्ति की तिथि से गणना करके चयन श्रेणी का हकदार है। इस प्रकरण में अपीलार्थी के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 07.09.1994 के द्वारा अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की दिनांक 08.01.1985 से ही स्थाई माना है। ऐसे में जब प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से स्थाई मान चुका है, तो अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सभी लाभ नहीं दिया जाना उचित प्रकट नहीं होता है, क्योंकि वहीं तिथि अपीलार्थी की स्थाई नियुक्ति की दिनांक मानी गई है।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः यह अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक 08.01.1985 से कर अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाये और अपीलार्थी को इस आधार पर समस्त बकाया राशि का भुगतान किया जाये। इस आदेश की पालना 3 माह में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)